सईद अहमद एंड कंपनी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

(2009 की सिविल अपील संख्या 4197)

9 जुलाई, 2009

[न्यायमूर्ति आर.वी.रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम,]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 31(7) (ए) और (बी)- ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति- पूर्व- संदर्भ अवधि, वाद कालीन और भविष्य का ब्याज- आयोजित: यदि मध्यस्थता करार ब्याज के भुगतान को रोकता है, तो ऐसी रोक केवल पूर्व- संदर्भ अवधि और वाद कालीन के लिए ही संचालित होगा अर्थात केवल पुरस्कार की तारीख तक और उसके बाद नहीं- पुरस्कार की तिथि से भुगतान की तिथि तक मध्यस्थ के द्वारा 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिलवाया जाएगा। कायम रखा.

करार के अंतर्गत अपीलकर्ता को सौंपा गया निर्माण कार्य 31.3.1996 को पूरा हो गया था। उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के कुछ दावों को खारिज कर दिया जिससे विवाद पैदा हो गया। मामला 13.3.1997 को मध्यस्थ के पास भेजा गया था। मध्यस्थ ने 31.7.2001 को एक निर्णय दिया जिसमें उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता को 24,18,586/- रुपये का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ, दिनांक 01-04-1996 से भुगतान तक करने का निर्देश दिया गया। अंतिम बिल को अंतिम रूप देने पर अपीलकर्ता को देय राशि, यदि कोई हो, 14% प्रति वर्ष ब्याज सहित 1.5.1996 से भुगतान की तिथि तक; और सुरक्षा जमा राशि 12% प्रति वर्ष ब्याज सहित देय होगी। 1.10.1996 से भुगतान की तिथि तक। फैसले को रद्द करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया

था।

उच्च न्यायालय ने माना कि अनुबंध के खंड जी 1.09 में निहित रोक को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं थी और परिणामस्वरूप, उसने फैसले के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें पुरस्कार की दिनांक तक ब्याज दिया गया था। इसमें यद्यपि पुरस्कार पारित करने की दिनांक से भुगतान की दिनांक तक छह प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज दिलवाया गया- इसलिए अपील की गई।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. विधायिका ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को अधिनियमित करते समय मध्यस्थों द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल किया। अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति से संबंधित है। खंड (ए) उस तारीख के बीच की अवधि से संबंधित है जिस दिन वाद कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पुरस्कार पारित किया गया। खंड (बी) पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि से संबंधित है। [पैरा 10] [849- ई- एफ]

सचिव, सिंचाई विभाग, सरकार। उड़ीसा बनाम जी.सी. रॉय 1992 (1) एससीसी 508; कार्यकारी अभियंता, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग बनाम एन.सी. बुधराज 2001 (2) एससीसी 721; भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 2005 (6) एससीसी 462; अधीक्षण अभियंता बनाम सुब्बा रेड्डी 1999 (4) एससीसी 423 और राजस्थान राज्य बनाम फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट। लिमिटेड 2009(8) स्केल 753, संदर्भित किए गए।

1.2. अनुबंध का खंड जी-1.09 यह स्पष्ट करता है कि (i) सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष के संबंध में सरकार द्वारा कोई ब्याज या क्षति का भुगतान नहीं

किया जाएगा; (ii) कोई भी पैसा जो एक ओर प्रभारी अभियंता और दूसरी ओर ठेकेदार के बीच किसी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण बन सकता है; (iii) प्रभारी अभियंता की ओर से आवधिक या अंतिम भुगतान करने में कोई देरी की गई ; या (iv) कोई अन्य सम्मान जो भी हो. यह खंड व्यापक है और स्पष्ट एवं श्रेणीबद्ध शब्दों में किसी भी मद में ब्याज पर रोक लगाता है। अधिनियम की धारा 31 की उप- धारा (7) के खंड (ए) के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ पुरस्कार पारित करने की दिनांक तक ब्याज नहीं दे सकता था, क्योंकि पक्षकारों के बीच करार ने ब्याज के भुगतान पर रोक लगा दी। ब्याज देने पर रोक न केवल पूर्व- संदर्भ अवधि के दौरान यानी 13.3.1997 तक, बल्कि लंबित अवधि यानी 14.3.1997 से 31.7.2001 तक के दौरान भी लागू होगी। क्या अनुबंध में प्रावधान नियोक्ता को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है या ठेकेदार को ब्याज के लिए कोई दावा करने से रोकता है, यह ब्याज के संबंध में स्पष्ट निषेध के बराबर है। प्रावधान में मध्यस्थ को ब्याज देने से रोकने के संबंध में अन्य रोक नहीं है। [पैरा 11 और 14] [850- एच; 855- डी- ई]

यूपी राज्य बनाम हरीश चंद्र एंड कंपनी 1999 (1) एससीसी 63; उड़ीसा राज्य बनाम बी.एन. अग्रवाल 1997 (2) एससीसी 469, अनुपयुक्त ठहराया गया।

बोर्ड ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स- डी- स्पेस- एज 1996(1) एससीसी 516, संदर्भित किया गया।

1.3. मध्यस्थ ने 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया। 24.18 लाख रुपये पर 14% प्रति वर्ष. अंतिम बिल को अंतिम रूप देने पर देय राशि पर और 12% प्रति वर्ष। सुरक्षा जमा राशि यदि कोई हो तो उसे वापस करना होगा। अधिनियम की धारा 31 की उप- धारा (7) के खंड (बी) में प्रावधान है कि यदि पुरस्कार अन्यथा निर्देशित नहीं करता है, तो प्रदान की गई राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। इसलिए

अनुबंध में ब्याज को छोड़कर कोई भी प्रावधान केवल अवार्ड की तारीख तक ही लागू होगा, उसके बाद नहीं। मध्यस्थ ने तीन अलग- अलग राशियों पर तीन अलग- अलग दरों पर ब्याज दिया है, जो सभी 18% प्रति वर्ष से कम हैं। मध्यस्थ द्वारा उक्त पुरस्कार के द्वारा ब्याज अधिनियम की धारा 31(7) (बी) के विपरीत नहीं है। न्यायालय द्वारा मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज की दर में बदलाव नहीं करना चाहिए, जब तक कि कारणों का उल्लेख करते हुए ब्याज दिलवाया जाना अनुचित नहीं पाया जाता। उच्च न्यायालय ने ब्याज दर घटाकर 6% प्रति वर्ष करने का कोई कारण नहीं बताया। इसलिए, ऐसी कटौती को बरकरार नहीं रखा जा सकता। पुरस्कार के अंतर्गत देय और देय राशि पर ब्याज, पुरस्कार पारित करने की दिनांक से भुगतान की दिनांक तक, मध्यस्थ के द्वारा पारित किये गए पुरस्कार के अनुसार होगी। [पैरा 18 और 19] [856- बी- ई; 856- जी]

केस कानून संदर्भ:

बी 1992 (1) एससीसी 508	संदर्भित किया गया	पैरा 9
2001 (2) एससीसी 721	संदर्भित किया गया	पैरा 9
2005 (6) एससीसी 462	संदर्भित किया गया	पैरा 9
1999 (4) एससीसी 423	संदर्भित किया गया	पैरा 9
2009(8) स्केल 753	संदर्भित किया गया	पैरा 9
1999 (1) एससीसी 63	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 12
डी 1997 (2) एससीसी 469	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 13
1996 (1) एससीसी 516	संदर्भित किया गया	पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: की सिविल अपील संख्या 4197/2009

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल एओ नं. 457/2006 निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.2.2008 से।

विनय कुमार गर्ग, अपीलकर्ता की ओर से।

प्रमोद स्वरूप, टी.एन. सिंह, चंद्र प्रकाश पांडे, उत्तरदातागण की ओर से ।

न्यायालय द्वारा न्यामूर्ति आर.वी. रवीन्द्रन द्वारा निर्णय दिया गया।

1. अनुमति दी गई। इस अपील में मुद्दा यह है कि क्या मध्यस्थ पूर्व- संदर्भ अवधि और वादकालीन के लिए ब्याज दे सकता है, जब अनुबंध नियोक्ता को ब्याज के किसी दावे पर विचार करने से रोकता है।

2. उत्तरदाताओं ने दिनांक 30.3.1990 के एक समझौते के अंतर्गत अपीलकर्ता को एक निर्माण कार्य सौंपा। काम था अपीलकर्ता द्वारा 31.3.1996 को पूरा किया गया। अपीलकर्ता के दावों की अस्वीकृति के कारण पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए और उन्हें 13.3.1997 को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। मध्यस्थ के समक्ष, अपीलकर्ता ने 133.43 लाख रुपये के कुल 11 दावे किए। मध्यस्थ ने दिनांक 31.7.2001 को एक निर्णय दिया जिसमें उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता को निम्नलिखित भुगतान करने का निर्देश दिया गया:-

(i) 24,18,586/- रुपये 1.4.1996 से भुगतान की तारीख तक 18% पीए ब्याज के साथ।

(ii) 1.5.1996 से भुगतान की तारीख तक 14% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ अंतिम बिल को अंतिम रूप देने पर अपीलकर्ता को देय राशि, यदि कोई हो तो,

(iii) देय सुरक्षा जमा राशि 1.10.1996 से भुगतान की तारीख तक 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ।

3. सिविल कोर्ट ने अपने फैसले दिनांक 7.12.2005 द्वारा मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर पुरस्कार को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया। उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.2.2008 के आक्षेपित फैसले द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने माना कि अनुबंध के खंड जी 1.09 में निहित रोक को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं थी और परिणामस्वरूप, पुरस्कार की तारीख तक ब्याज देने वाले पुरस्कार के उस हिस्से को अलग कर दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष पर ब्याज दिया। पुरस्कार की तिथि तक के ब्याज को हटाने और पुरस्कार की तिथि से ब्याज को घटाकर 6% प्रति वर्ष करने से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

4. सबसे पहले, आक्षेपित निर्णय के पैरा 31 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक गलत धारणा का उल्लेख करना आवश्यक है। यह इस आधार पर आगे बढ़ा है कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए 24,18,586/- रुपये की राशि में अंतिम बिल के संबंध में देय राशि और सुरक्षा की राशि भी शामिल है। उक्त राशि 24,18,586/- रूपये के अलग-अलग हिस्सों पर अलग- अलग तारीखों से एक जमा राशि और उस पर ब्याज दिया गया है। लेकिन 24,18,586/- रुपये के पुरस्कार में अंतिम बिल या सुरक्षा जमा के संबंध में देय राशि शामिल नहीं थी। वास्तव में मध्यस्थ ने अंतिम बिल या सुरक्षा जमा के संबंध में देय राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की, लेकिन उत्तरदाताओं को इसकी गणना करने और पुरस्कार में बताए अनुसार ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया। यह दिखाने के लिए कि उक्त राशि में अंतिम बिल बकाया और सुरक्षा जमा शामिल नहीं है, हम मध्यस्थ द्वारा दिए गए 24,18,586/- रुपये का विवरण नीचे दे रहे हैं।

क्रमांक दावा क्रमांक का विवरण	प्रदान की गई राशि

(I)	(1)	साइट की अनुपलब्धता के लिए रु. 6,30,130/-
(ii)	(2)	मिट्टी का काम 20,000 घन मीटर का भुगतान न करने पर रु.3,90,000/-
(iii)	(3)	ड्राइंग एवं डिज़ाइन की अनुपलब्धता के कारण रु. 20,000/-
(iv)	(4)	कार्य की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा में भिन्नता के लिए रु.1,03,500/-
(v)	(5)	अतिरिक्त वस्तुओं के लिए रु. 72,956/-
(vi)	(8)	काम रुकने के लिए रु. 31,500/-
(vii)	(9)	सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण रु. 84,000/-
(vii)	(10)	काम पूरा होने में देरी के लिए रु. 1,55,000/-

पुन: ब्याज वाद कारण की दिनांक से पुरस्कार की दिनांक तक।

6. जैसा कि ऊपर देखा गया है, ब्याज से संबंधित मुद्दा। नीचे दिए गए अनुबंध का हिस्सा बनने वाले तकनीकी प्रावधानों के खंड G1.09 के आसपास घूमता है।

> "जी 1.09 किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में सरकार द्वारा ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा जो सरकार के पास पड़ा हो या एक तरफ प्रभारी अभियंता और दूसरी तरफ ठेकेदार के बीच किसी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण बकाया हो या प्रभारी अभियंता की तरफ से आवधिक या अंतिम भुगतान में देरी के

संबंध में या किसी भी अन्य संबंध में, जो भी हो।

7. ब्याज अधिनियम 1978 की धारा 3 की उप- धारा (i) में प्रावधान है कि एक अदालत (एक मध्यस्थ के रूप में) किसी भी ऋण या क्षति की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही में, ऋण या क्षति के हकदार व्यक्ति को ब्याज की अनुमति दे सकती है। निम्नलिखित अवधि के संपूर्ण या आंशिक भाग के लिए, ब्याज की वर्तमान दर से अधिक नहीं होने वाली दर, अर्थात्: (ए) यदि एक निश्चित समय पर एक लिखित साधन के आधार पर देय ऋण से संबंधित कार्यवाही, तो, उस तारीख से ऋण देय हो और कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक; (बी) यदि कार्यवाही ऐसे किसी ऋण से संबंधित नहीं है, तो, हकदार व्यक्ति या उत्तरदायी व्यक्ति को दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए लिखित नोटिस में इस संबंध में उल्लिखित तिथि से, उस ब्याज का दावा कार्यवाही शुरू होने की तारीख से किया जाएबा। धारा 3 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि धारा 3 की कोई भी बात किसी ऋण या क्षति पर लागू नहीं होगी जिस पर किसी करार के आधार पर अधिकार के रूप में ब्याज देय है; या किसी ऋण या क्षति के लिए जिस पर ब्याज का भुगतान एक स्पष्ट करार के आधार पर वर्जित है।

8. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इससे कार्रवाई के कारण की तारीख से लेकर पुरस्कार की तारीख तक, यानी पूर्व- संदर्भ अवधि (वाद कारण की तारीख से संदर्भ करने की तारीख तक) और वाद कारण के संबंध में मध्यस्थों की शक्ति के बारे में काफी भ्रम पैदा हो गया। (संदर्भ की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक)। अंततः, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थ के पास तीन अवधियों अर्थात् पूर्व-संदर्भ अवधि, वादकालीन और भविष्य की अवधि (निर्णय की तारीख से) के लिए ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र और अधिकार था, यदि अनुबंध में ब्याज देने के लिए कोई स्पष्ट रोक नहीं थी। सचिव, सिंचाई विभाग। उड़ीसा राज्य बनाम जी.सी. रॉय 1992 (1)

एससीसी 508, कार्यकारी अभियंता, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग बनाम एन.सी. बुधराज- 2001 (2) एससीसी 721 और भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड- 2005 (6)) एससीसी 462 के निर्णय।

9. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतगर्त उत्पन्न होने वाले दो और अन्य मामले भी मध्यस्थ से संबंधित है और मध्यस्थता के अंतर्गत उत्पन्न हुए उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अधीक्षण अभियंता बनाम सुब्बा रेड्डी [1999 (4) एससीसी 423] में इस न्यायालय ने माना कि पूर्व- संदर्भ अवधि के लिए ब्याज केवल तभी दिया जा सकता है जब उस आशय का कोई करार हो या यदि यह ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत स्वीकार्य हो। इसलिए, पूर्व- संदर्भ अवधि के लिए ब्याज का दावा, जो करार के अनुसार या ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत वर्जित है, की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस न्यायालय ने हालाँकि यह माना है कि मध्यस्थ वादकालीन और भविष्य का ब्याज दे सकता है। ब्याज से संबंधित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में संक्षेपित किया गया था। लिमिटेड (2009 का सीए नंबर 2764 पर 22.4.2009 को निर्णय लिया गया) जो इस प्रकार है:

(ए) जहां किसी समझौते में किसी ऋण या क्षति पर ब्याज का प्रावधान किया गया है, वहां ब्याज का भुगतान ऐसे करार के अनुसार किया जाएगा।

(बी) जहां किसी ऋण या क्षति पर ब्याज का भुगतान अनुबंध में स्पष्ट प्रावधान द्वारा वर्जित है, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(सी) जहां अनुबंध में कोई एक्सप्रेस बार नहीं है और जहां ब्याज के भुगतान का भी कोई प्रावधान नहीं है, वहां ब्याज अधिनियम की धारा 3 के सिद्धांत लागू होंगे और परिणामस्वरूप ब्याज देय होगा

(i) जहां कार्यवाही एक निश्चित समय पर लिखित दस्तावेज के आधार पर देय ऋण (निश्चित राशि) से संबंधित है, तो ऋण देय होने की तारीख से कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक;

(ii) जहां कार्यवाही क्षति की वसूली के लिए या किसी ऋण की वसूली के लिए है जो एक निश्चित समय पर देय नहीं है, तो दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दावे के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दिए गए लिखित नोटिस में उल्लिखित तिथि से ब्याज का दावा किया जाएगा.

(डी) वाद कालीन ब्याज और भविष्य के ब्याज का भुगतान ब्याज अधिनियम, 1978 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगा, बल्कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 34 के प्रावधानों या मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित होगा।

10. विधानमंडल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को अधिनियमित करते समय मध्यस्थों द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल किया। अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति से संबंधित है। खंड (ए) उस तारीख के बीच की अवधि से संबंधित है जिस दिन वाद कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पुरस्कार पारित किया गया। खंड (बी) पुरस्कार पारित करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि से संबंधित है। उक्त उपधारा (7) नीचे दी गई है:

> "7(ए) जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जहां और जहां तक एक मध्यस्थ पुरस्कार पैसे के भुगतान के लिए है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा राशि पर ब्याज जिस दिनांक को वाद कारण प्राप्त हुआ या जिस दिनांक को पुरस्कार पारित किया गया तथा

समस्त या कुछ राशि पर उस दर से ब्याज दिलाया जा सकता है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उचित समझा जाता है।

(बी) एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर, जब तक कि पुरस्कार अन्यथा निर्देशित न हो, पुरस्कार पारित करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज दर से ब्याज दिवालया जाएगा।

अधिनियम की धारा 31 की उप- धारा (7) को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के मामले में पूर्व- संदर्भ अवधि और लंबित अवधि के बीच का अंतर गायब हो गया है। उक्त धारा के द्वारा केवल दो अवधियों को मान्यता दी गई है और निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

(ए) जिस तारीख को वाद कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पुरस्कार दिया गया (पूर्व- संदर्भ अवधि + वाद कालीन) के बीच की अवधि के संबंध में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के द्वारा पूरी अवधि या उसके किसी भाग के लिए ऐसी दर पर ब्याज दिया सकता है जो वह उचित समझे, जब तक कि पक्षकार द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

(बी) पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज 18% प्रति वर्ष होगा यदि ब्याज के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिया गया है। हालाँकि, मध्यस्थ निर्णय की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए एक अलग दर पर ब्याज दे सकता है।

पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत पुरस्कारों के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णयों में पूर्व- संदर्भ अवधि और वाद कालीन अवधि के बीच अंतर किया गया है और इसमें यह टिप्पणी की गई है कि मध्यस्थ के पास किसी भी रोक के बावजूद वाद

कालीन अवधि के दौरान ब्याज देने का विवेक है। पार्टियों के बीच अनुबंध में निहित हित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित मध्यस्थता पर लागू नहीं होते हैं।

11. खंड जी-1.09 यह स्पष्ट करता है कि सरकार द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई ब्याज या क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा: (i) कोई भी धन या शेष जो सरकार के पास पड़ा हो; (ii) कोई भी पैसा जो किसी विवाद के कारण बकाया हो सकता है,

एक ओर प्रभारी अभियंता और दूसरी ओर ठेकेदार के बीच मतभेद या गलतफहमी; (iii) आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता की ओर से कोई देरी; या (iv) कोई अन्य सम्मान। यह खंड व्यापक है और स्पष्ट एवं श्रेणीबद्ध शब्दों में किसी भी मद में ब्याज पर रोक लगाता है। अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ पुरस्कार की तारीख तक ब्याज नहीं दे सकता था, क्योंकि पार्टियों के बीच करार ब्याज के भुगतान पर रोक थी। ब्याज देने पर रोक न केवल पूर्व- संदर्भ अवधि के दौरान यानी 13.3.1997 तक, बल्कि वादकालीन अवधि यानी 14.3.1997 से 31.7.2001 तक के दौरान भी लागू होगी।

12. अपीलकर्ता ने यूपी राज्य बनाम हरिशचंद्र एण्ड कंपनी [1999 (1) एससीसी 63], पर दृढ़ता से भरोसा किया है और यह तर्क दिया है कि अनुबंध का खंड 1.09 ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है। उस निर्णय में विचाराधीन ब्याज पर रोक लगाने वाला खंड इस प्रकार था:

> "1.9. यदि सरकार के पास धन या शेष धन प्रभारी अभियंता के आवधिक या अंतिम भुगतान या किसी अन्य के संबंध में किसी विवाद मतभेद या गलतफहमी के कारण पड़ा हो तो सरकार के द्वारा

ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

इस न्यायालय ने माना कि उक्त खंड क्षति के किसी भी दावे पर या किए गए कार्य के भुगतान के दावे पर ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है। हम इस तरह के निर्णय के लिए कारण नीचे देते हैं:

> "खंड पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि नुकसान के रूप में ब्याज का दावा केवल एक निर्दिष्ट प्रकार की राशि के संबंध में सरकार के खिलाफ नहीं किया जाना था, अर्थात्, कोई भी पैसा या शेष जो सरकार के पास हो, प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच कोई विवाद, मतभेद; या प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच आवधिक या अंतिम भुगतानों को चिह्नित करने की गलतफहमी या किसी भी अन्य संबंध में हो। शब्द 'या किसी भी अन्य संबंध में' उस धन या शेष से संबंधित विवाद को भी संदर्भित करता है जो करार के अनुसार सरकार के पास पड़ा हो सकता है, जिसका अर्थ है सुरक्षा जमा या प्रतिधारण धन या कोई अन्य राशि जो सरकार के पास हो सकती है। और जिसका धन वापसी सरकार ने रोक लिया है। नुकसान का दावा या किए गए काम के लिए भुगतान का दावा और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, वह स्पष्ट रूप से किसी भी धन को शामिल नहीं करेगा जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह सरकार के पास पड़ा हुआ है। नतीजतन, इस खंड की स्पष्ट भाषा में, उत्तरदाता ठेकेदार के खिलाफ ऐसा कोई निषेध नहीं है जिसे हटाया जा सके कि वह न्यायनिर्णयन के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष क्षति के माध्यम से ब्याज का दावा नहीं कर सकता।"

हरिश्चंद्र (सुप्रा) में खंड 1.09 के एक अलग संस्करण पर विचार किया गया था। उस खंड के प्रतिबंधात्मक शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना कि उसने नुकसान के दावे पर किए गए काम के लिए भुगतान के दावे पर ब्याज देने पर रोक नहीं लगाई है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने माना कि उक्त धारा केवल उस राशि पर ब्याज देने से रोकती है जो सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण धन के रूप में सरकार के पास पड़ी हो या किसी अन्य राशि की वापसी हो जो सरकार द्वारा रोक दी गई हो। लेकिन इस मामले में, क्लॉज जी-1.09 काफी अलग है। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच किसी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण या अभियंता- प्रमुख की ओर से किसी देरी के कारण होने वाली किसी भी धनराशि के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा। -आवधिक या अंतिम भुगतान करने या किसी भी अन्य संबंध में शुल्क। इस मामले में खंड जी-1.09 के अंतर्गत रोक पूर्ण होने के कारण हरीश चंद्र मामले में निर्णय अपीलार्थी की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे।

13. अपीलकर्ता ने आगे इस न्यायालय के निर्णय उड़ीसा राज्य बनाम बी.एन. अग्रवाल [1997 (2) एससीसी 469] पर भरोसा किया।

उस मामले में, इस न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ के पास (i) पूर्व- संदर्भ अवधि के लिए ब्याज, (ii) वाद कालीन ब्याज के लिए (iii) भविष्य का ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है। इस न्यायालय ने यह भी माना कि "दरें, सामग्री और कारीगरी" से संबंधित अनुबंध के खंड (4) के निम्नलिखित भाग में ठेकेदारों के दावों पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर रोक नहीं लगायी है।

करार के मद के अंतर्गत राकी गयी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

उक्त खंड की व्याख्या करते हुए (जिसमें प्रावधान किया गया था कि रोकी गई

राशि पर ब्याज देय नहीं था), इस न्यायालय ने माना कि यह केवल दोष देयता दायित्व अवधि के लिए प्रतिधारण धन के लिए नियोक्ता राज्य द्वारा रोकी गई राशि को संदर्भित करता है। इस न्यायालय ने वास्तव में यह स्थिति स्पष्ट की कि यदि अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, तो मध्यस्थ को ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा। चूंकि वर्तमान मामले में क्लॉज जी-1.09 में एक एक्सप्रेस बार है और यह बी.एन. अग्रवाल (सुप्रा), में विचार किए गए क्लॉज से अलग है। उक्त निर्णय से भी कोई सहायता नहीं मिलती है।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही खंड जी-1.09 में रोक नियोक्ता को ब्याज का भुगतान करने से रोक सकती है, लेकिन यह मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकती है। इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने कलकत्ता बंदरगाह के न्यासी बोर्ड बनाम इंजीनियर्स- डी- स्पेस- एज [1996 (1) एससीसी 516] इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। इस मामले में, न्यायालय ने अनुबंध में देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज का भुगतान निषेध होते हुए भी मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार में वाद कालीन ब्याज देने की वैधता पर विचार किया। उस मामले में निम्नलिखित खंड इस न्यायालय के विचारार्थ आया:

जो पैसा और शेष राशि ठेकेदार और आयुक्तों के बीच विवाद के कारण आयुक्तों के पास है या आयुक्तों के द्वारा अंतरिम और अंतिम भुगतान में देरी की गयी है तो उसके संबंध में ब्याज के किसी दावे पर आयुक्तों द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

संविधान पीठ के फैसले जी. सी. रॉय (सुप्रा) का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने कहा:

"हम संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज देने के संबंध में एक मामले से निपट नहीं रहे हैं। हम संदर्भ के बाद मध्यस्थ द्वारा

ब्याज देने के संबंध में एक मामले से निपट रहे हैं। इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या यह विचार में है पहले निकाले गए अनुबंध के खंड 13 के उप- खंड (जी) में मध्यस्थ को अनुबंध के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित किया गया था। अब उप- खंड (जी) में शब्द केवल आयुक्त को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है परंतु मध्यस्थ को ब्याज देने से शुरुआती शब्द 'आयुक्त द्वारा ब्याज के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा' स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि इरादा आयुक्त को ठेकेदार को विलंबित भुगतान के कारण ब्याज देने से रोकना था। खंड को इस सरल कारण से सख्ती से समझा जाना चाहिए कि जैसा कि संविधान पीठ ने बताया है, आमतौर पर, एक व्यक्ति जिसके पास वैध दावा है, वह उचित समय के भीतर भुगतान का हकदार है और यदि भुगतान में उचित समय से अधिक देरी हुई है तो वह वैध रूप से दावा कर सकता है। उस विलंब के लिए मुआवज़ा दिया जाए चाहे कोई उस संबंध में अपने दावे को कोई भी नाम दे। यदि ऐसा है, तो जिस अनुबंध पर निर्भरता रखी गई है, उस पर सख्त रुख अपनाना हमारे लिए उचित होगा। कड़ाई से समझा जाए तो अनुबंध की शर्तें केवल आयुक्त को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज देने से रोकती हैं, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थता में चला जाता है तो मध्यस्थ का विवेक, किसी भी तरह से, अनुबंध की इस शर्त से बाधित नहीं होता है और मध्यस्थ को यदि उसे दावा उचित लगता है तो वह वाद कालीन पर ब्याज देने और ब्याज देने के सवाल पर विचार करने का हकदार होगा। इसलिए, हमारी राय है कि अनुबंध के खंड के तहत मध्यस्थ को वाद कालीन

ब्याज देने पर रोक नहीं लगायी गई है।"

इस न्यायालय ने माना कि अनुबंध में रोक केवल पूर्व- संदर्भ अवधि के लिए संचालित होती है और मध्यस्थ के पास अनुबंध में रोक के संदर्भ के बिना, अपने विवेक पर वाद कालीन ब्याज देने की शक्ति और अधिकार है। इंजीनियर्स- डी- स्पेस- एज (सुप्रा) के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि अनुबंध की अवधि केवल विभाग/ नियोक्ता को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज देने से रोकती है, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थ के पास चला जाता है, तो मध्यस्थ के विवेक को अनुबंध की शर्तों से रोका नहीं जा सकता है और मध्यस्थत को वादकालीन ब्याज पर विचार करने और देने का अधिकार होगा। इसका उपयोग एक अजीब तर्क का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि सरकार या विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान करने पर रोक, मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर रोक नहीं है। . क्या अनुबंध में प्रावधान नियोक्ता को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है या ठेकेदार को ब्याज के लिए कोई दावा करने से रोकता है, यह ब्याज के संबंध में स्पष्ट निषेध के बराबर है। प्रावधान में मध्यस्थ को ब्याज देने से रोकने वाली किसी अन्य रोक की आवश्यकता नहीं है। वाद कालीन ब्याज के संदर्भ में की गई टिप्पणियों का उपयोग अनुबंध से बाहर नहीं किया जा सकता है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इंजीनियर्स- डी- स्पेस- एज में उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर अगली दलील दी कि भले ही खंड जी-1.09 को पूर्व- संदर्भ अवधि में ब्याज पर रोक लगाने के लिए माना जाता है, परंतु इसे यह नहीं माना जाना चाहिए कि वाद कालीन अवधि 14.03-1997 से 31.07.2001 के आवेदन नहीं करें। उन्होंने तर्क दिया कि संदर्भ के लंबित रहने के दौरान ब्याज का पुरस्कार मध्यस्थ के विवेक के अंतर्गत था और इसलिए, पुरस्कार उस अवधि के लिए ब्याज के लिए उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। संविधान पीठ के फैसलों के

मद्देनजर जी.सी. रॉय और एन.सी. बुधराज (सुप्रा) इंजीनियर्स- डी- स्पेस- एज में निर्णय से पहले और बाद में दिए गए, यह संदिग्ध है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न होने वाले मामले इंजीनियर्स- डी- स्पेस- एज की राय के अनुसार मध्यस्थ वाद कालीन ब्याज दे सकता है। मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करके ब्याज दे सकता है और यह अच्छा कानून है। लेकिन जैसा कि यह है, उस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नए अधिनियम के तहत एक मामला जहां मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है।

पुन: पुरस्कार की तिथि से ब्याज

18. मध्यस्थ ने 24,18,586/- रुपये पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, अंतिम बिल को अंतिम रूप देने पर देय राशि पर 14% प्रति वर्ष और सुरक्षा जमा राशि, यदि कोई हो, उसे वापस करने पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 31 की उप- धारा (7) के खंड (बी) में यह प्रावधान है कि यदि पुरस्कार अन्यथा निर्देशित नहीं करता है, तो प्रदान की गई राशि पर पुरस्कार द्वारा निर्देशित और किसी भी प्रावधान के अभाव में 18% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। इसलिए अनुबंध में ब्याज को छोड़कर कोई भी प्रावधान केवल अवार्ड की तारीख तक ही लागू होगा, उसके बाद नहीं। मध्यस्थ ने तीन अलग- अलग राशियों पर तीन अलग- अलग दरों पर ब्याज दिया है, जो सभी 18% प्रति वर्ष से कम हैं। मध्यस्थ द्वारा ब्याज का उक्त पुरस्कार अधिनियम की धारा 31(7) (बी) के विपरीत नहीं है। जब तक दर्ज किए गए कारणों से ब्याज का पुरस्कार अनुचित नहीं पाया जाता, तब तक अदालत को मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज की दर में बदलाव नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने ब्याज दर को 6% प्रति वर्ष तक कम करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है। इसलिए, ऐसी कमी बरकरार नहीं रखी जा सकती.

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

(ए) पुरस्कार की तारीख तक ब्याज के पुरस्कार को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जाती है।

(बी) उच्च न्यायालय द्वारा पुरस्कार की तारीख से ब्याज दर को 6% प्रति वर्ष तक कम करने के फैसले को रद्द किया जाता है। पुरस्कार के तहत देय और देय राशि पर ब्याज की दर, पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार होगी।

(सी) पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करेंगे।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रंजना सर्राफ, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।